ड्राई पोर्ट्स के विकास को बढ़ावा देगी सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। नई वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 के तहत वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक के साथ-साथ ड्राई पोर्ट्स के लिए भी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

यूपी विभिन्न निर्यात क्लस्टरों से युक्त है। ऐसे में समुद्री बंदरगाहों तक निर्यात कार्गो के सुविधाजनक परिवहन के लिए यहां ड्राई पोर्ट्स के विकास की काफी संभावनाएं हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेश गई टीम योगी को कई देशों से इस क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। साथ ही तमाम घरेलू निवेशक भी ड्राई पोर्ट्स को लेकर उत्साहित हैं।

नई वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति के तहत मिलेंगी आकर्षक सुविधाएं

इस परियोजना में अंतरदेशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) एवं कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) होते हैं, जो न्यूनतम 10 एकड़ भूमि और 50 करोड़ रुपये से विकसित किए जाते हैं। इसके विकास के लिए सरकार स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की दर से छूट और भू उपयोग परिवर्तन चार्ज में 75 प्रतिशत की रियायत देगी। विकास शुल्क में 75% की छूट के साथ इन परियोजनाओं को 60 प्रतिशत तक ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ये सभी प्रस्तावित छूट बैंक गारंटी जमा करने पर ही मिलेंगी। वाराणसी में 100 एकड़ क्षेत्र में भारत का पहला फ्रेट विलेज विकसित किया जा रहा है।